

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व०लि०/०९/११३ दिनांक:- 18/5/09

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/व०लि०/०८/९७१,९७३,९७६,९७७ दिनांक २९.४.०९ एवं क्रमांक ई-१८/एम/डीपीसी/व०लि०/०८/८२३-८२४ दिनांक २७.२.०९ के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम १९९९ के नियम ३२ के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री सुरेन्द्रकुमार राणा	सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर	प्रमुख चिकि० अधिकारी कावटिया चिकि० जयपुर
2	श्री मकबूल अहमद	महाराणा भूपाल चिकि० उदयपुर	संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर
3	श्री सोहनप्रकाश राठौर	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० बारां के अधीन	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी कोटा
4	श्री त्रिवेन्द्र कुमार	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० जालौर के अधीन	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० जालौर के अधीन
5	श्री मनमीत गोपी	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी जयपुर प्रथम	उप मु०चि० एवं स्वा० अधि० प०क० जयपुर
6	श्री भंवरलाल गहलोत	अधीक्षक जेएलएन चिकित्सालय अजमेर	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० भीलवाडा
7	श्री राजकुमार सहगल	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर	मु०चि० एवं स्वा० अधि० जयपुर प्रथम के अधीन
8	श्री महेन्द्र कुमार हरपावत	प्रमुख चिकि० अधि० सैटेलाईट चिकि० हिरणमगरी उदयपुर	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० उदयपुर
9	श्री दुर्गालाल कुम्हार	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० टोंक के अधीन	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी टोंक
10	श्री मोहनलाल मेघवाल	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी जालौर	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० जालौर के अधीन
11	श्री शिवकुमार पायक	प्रमुख चिकि० अधिकारी भीलवाडा	प्रमुख चिकि० अधिकारी भीलवाडा
12	श्री रामजीलाल मीणा	सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर	संयुक्त निदेशक जोन जयपुर
13	श्री विली जोनसन कॅनेडी	उप मुख्य चि० एवं स्वा० अधि० प०क० जोधपुर	अति० मुख्य चि० एवं स्वा० अधि० प०क० जोधपुर
14	श्री प्रभात सागर	उप मुख्य चि० एवं स्वा० अधि० प०क० कोटा	अधीक्षक एमबीएस चिकित्सालय कोटा

15	श्री बजरंगलाल वैष्णव	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० झालावाड के अधीन	संयुक्त निदेशक जोन कोटा
16	श्री महेन्द्र कुमार आलडिया	निदेशालय मुख्यालय	आर०सी०एच०ओ० जयपुर
17	श्री रामफूल मीणा	निदेशालय मुख्यालय	मु०चि० एवं स्वा० अ० जयपुर द्वितीय

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 5.6.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ०७(१)/डीओपी/ए-१/९५ दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।

६

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर
दिनांक:- 18/5/09

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वलि०/०९/११३


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०

2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।

3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

4- प्रभारी, सर्वरूम, मुख्यालय


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर